


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक- 17/10/2019

संख्या-14/प्रो0-101/19- 14181 /सा0प्र0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-7827, दिनांक-11.06.2019 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी स्व0 अजय कुमार, कोटि क्रमांक-437/11 तत्कालीन विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 37,400-67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/-) में दिनांक-29.11.2012 के प्रभाव से वैचारिक रूप से दी गयी प्रोन्नति को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अक्मानना वाद संख्या-2847/2018 में दिनांक-01.04.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-14/प्रो0-101/19- 14181 /सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 17/10/2019

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) /महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/स्व0 अजय कुमार की पत्नी विभा रानी, निम्न वर्गीय लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।